दुग्ध प्रसंस्करण इकाई लगाने पर मिलेगी 15 करोड़ तक की छूट

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 कैबिनेट में पास

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। कैबिनेट ने उप्र दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी। नई नीति में प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण की इकाई लगाने पर विभिन्न मदों में 5 करोड़ तक की सब्सिडी और पांच वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपये ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। इससे दूध और उससे आधारित उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकेगा। इस नीति से अगले पांच वर्षों में 5 हजार

करोड़ के पूंजी निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही इस नीति के तहत सवा लाख रोजगार भी सृजित होगा।।

नई नीति में प्रदेश में दुग्ध प्रंसस्करण की मात्रा और क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य दुग्ध प्रसंस्करण के मौजूदा स्तर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक और दुग्ध प्रसंस्करण की स्थापित क्षमता की बाजार बिक्री योग्य हिस्सेदारी को 44 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। दुग्ध प्रसंस्करण की इकाई लगाने के लिए व उसके विस्तारीकरण के लिए प्लांट, मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर पार्ट्स की लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 5 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा पांच वर्षों के कर्ज के ब्याज पर 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान भी दिया जाएगा।

दुग्धशाला इकाई की स्थापना में उद्यमियों को मिलेगी छूट

नई नीति में विभिन्न एफपीओ, प्रदेश की सहकारी संस्थाओं व निजी क्षेत्र के उद्यमियों को नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना में छूट मिलेगी। इसके अलावा क्षमता विस्तारीकरण और क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि पर छूट होगी। नवीन पशु आहार और पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की स्थापना व क्षमता विस्तारीकरण पर भी इसी तरह से छूट दी जाएगी।

मेगा बैटरी परियोजना पर मिलेगी 30 फीसदी सब्सिडी

लखनऊ। यूपी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के अनुसार 500 करोड़ या इससे अधिक के निवेश से न्यूनतम 1 जीडब्ल्यूएच बैटरी उत्पादन क्षमता का प्लांट लगाने वाली पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं के निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।

ईवी, ईवी बैटरी एवं अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण सुविधाओं से संबंधित कंपोनेंट्स के निर्माण पर 3 हजार करोड़ या इससे अधिक का निवेश करने वाली पहली दो एकीकृत ईवी परियोजनाओं को निवेश के 20 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। ब्यूरो

बैटरी निर्माण प्लांट लगाने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी

- प्रदेश में एक गीगावॉट की न्यूनतम क्षमता वाला बैटरी निर्माण प्लांट लगाने के लिए 1500 करोड़ रुपये या इससे अधिक का निवेश करने वाली पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं को अधिकतम एक हजार करोड़ रुपये के निवेश पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
- ईवी, ईवी बैटरी और उससे संबंधित कंपोनेंट के निर्माण के लिए तीन हजार करोड़ रुपये का निवेश करने वाली पहले दो एकीकृत ईवी परियोजनाओं को अधिकतम एक हजार करोड़ रुपये प्रति परियोजना पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
- पांच सौ करोड़ या इससे अधिक का निवेश करने वाली 5 मेगा ईवी परियोजनाओं, 300 क रोड़ रुपये या इससे अधिक का निवेश करने वाली पहली 4 मेगा ईवी बैटरी परियोजनाओं को निवेश पर 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

बुनकरों की आय 50% बढ़ाने का लक्ष्य

वस्त्र एवं गारमेंट्स पॉलिसी में सब्सिडी के भी प्रावधान

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उप्र. वस्त्र एवं गारमेंट्स पॉलिसी 2022 के तहत इससे संबंधित उद्योग की सभी प्रकार की इकाइयों का विकास किया जाएगा। इससे हैंडलूम, पावरलूम, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग आदि का विकास होगा। निजी क्षेत्र के पांच वस्त्र एवं परिधान पार्कों को विकसित किया जाएगा। इससे हथकरघा और पावरलूम बुनकरों की आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

यह पॉलिसी प्रख्यापन की तिथि से पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इससे वस्त्र एवं गारमेंट्स इकाइयों को प्लांट और मशीनरी खरीद पर 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी। मध्यांचल क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों को पांच प्रतिशत, पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड में 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपये प्रति यूनिट रखी गई है। इसी तरह यूनिट स्थापित करने के लिए सड़क, पानी, जल निकासी बिजली आदि के विकास के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगा।

विपणन प्रोत्साहन के लिए प्रदेश के बाहर देश के बड़े शहरों में प्रति वर्ष चार विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी पर अनुमानित व्यय 50 लाख रुपये होगा। डेवलपर को बिजली की खुली पहुंच के लिए विद्युत रेग्यूलेशन एक्ट के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

ऊर्जा टैरिफ सब्सिडी लाइसेंसी यूटिलिटी से बिजली की खरीद पर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 साल के लिए प्रति बिल यूनिट (किलोवॉट) के लिए 2 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह स्टाम्प शुल्क की 100 प्रतिशत छूट बैंक गारंटी के विरुद्ध दी जाएगी। अपना रोजगार शुरू करने वालों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मार्केटिंग कंपनी के पंजीकरण कराने एवं उसे स्थापित करने के लिए सुविधाओं पर आने वाली लागत का 75 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रुपये 50 लाख प्रति कंपनी देय होगा। इस कार्य में प्रोत्साहन के लिए बुनकरों के बच्चों को वरीयता दी जाएगी।

सिंचाई सुविधा के लिए 90% तक अनुदान

लखनऊ। लघु एवं सीमांत कृषकों को अतिरिक्त सिंचन सुविधा प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में किसानों को 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसके कार्य विस्तार एवं क्रय व्यवस्था में भी संशोधन किया गया है। लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से संचालित इस योजना में उथले नलकूप (गहराई 30 मीटर तक) मध्यम गहरे नलकूप (31.60 मीटर तक) व गहरे नलकूप (61.90 मीटर तक) का निर्माण लाभार्थी कृषकों की भूमि पर सिंचाई के लिए किया जाता है। अब इसमें 50 से 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। ब्यूरो